न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
37 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	09.06.2020	29.07.2024

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री ताराचन्द जैन पुत्र श्री स्व. श्री कपूरचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पंकज किराणा स्टोर मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी कल्याण कॉलोनी डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पिनकोड–304504
2–मैसर्स पंकज किराणा स्टोर मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पिनकोड–304504

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं धारा 31 की उपधारा (1) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री प्रमोद शर्मा उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 29.07.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 26.02.2020 को समय 02:01 पीएम पर मैसर्स पंकज किराणा स्टोर मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री ताराचन्द जैन पुत्र श्री स्व. श्री कपूरचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, श्री ताराचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर ने श्री ताराचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया जिसकी वैधता दिनांक 08.09.2019 तक थी। अतः उक्त विक्रेता द्वारा दिनांक 08.09.2019 से दिनांक 26.02.2020 तक खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र के अवधिपार हो जाने पर बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार किया जा रहा था।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कन्फैंक्शनरी, घी, तेल, मसाले, के साथ–साथ प्लास्टिक के बैग में **बूरा खुला (Boora Loose)** 50 किलोग्राम पैक रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री ताराचन्द जैन पुत्र श्री स्व. श्री कपूरचन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री ताराचन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **बूरा खुला (Boora Loose)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में प्लास्टिक के बैग में रखे **बूरा खुला (Boora Loose)** 50 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम **बूरा खुला (Boora Loose)** में से 250–250 ग्राम को बराबर–बराबर अलग–अलग चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बों में रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाय प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2420 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2420 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2020 / 1001 दिनांक 24.03.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस. / 446 / एक्ट / 2020 / 509 दिनांक 11.03.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **बूरा खुला (Boora Loose)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री प्रमोद शर्मा उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से क्रय किया गया था परन्तु वारन्टी बिल लेना भूल गया। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **बूरा खुला (Boora Loose)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, साथ ही बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार कर एफएसएसए की धारा 31 की उपधारा (1) का उल्लंघन किया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **बूरा खुला (Boora Loose)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 15,000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक